भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3984

24 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीएएमएस पाठ्यक्रम में ज्योतिष शास्त्र

3984. एडवोकेट ए.एम.आरिफ:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में आयुष पेशेवरों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली परिषद (एनसीआईएम) ने देश में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) पाठ्यक्रम में ज्योतिष को वैकल्पिक विषय के रुप में शामिल किया है जो वैज्ञानिक औचित्य के विरुद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उक्त विषय में नामांकित छात्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच के सिद्धांत को बनाए रखने हेतु बीएएमएस में ज्योतिष को एक विषय के रूप में खारिज करने के लिए एनसीआईएम को तत्काल अनुदेश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): संघ के कार्य आवंटन की दूसरी अनुसूची के अनुसार, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के सभी पहलुओं में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए अधिदेशित है। पिछले सात वर्षों में (शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 4007 से बढ़कर 4786 हो गई, यूनानी में 202 से बढ़कर 404 हो गई, सिद्ध में 140 से 167 हो गई और होम्योपैथी में 1134 से बढ़कर 1594 हो गई। आयुष स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि से देश में आयुष पेशेवरों के लिए उच्चतर शिक्षा के अवसरों में सुधार होगा ।

(ख) और (ग): जी हां, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा पाठ्यचर्या में चिकित्सा ज्योतिष को वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ऑनलाइन) के रूप में आरंभ किया गया है। राज्यवार भर्ती किए गए छात्रों का ब्यौरा **संलग्नक** पर है।

(घ): वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ऑनलाइन) के रूप में ज्योतिष को वापस लेने के लिए एनसीआईएसएम को तत्काल अनुदेश जारी करने का ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

*****

संलग्नक

वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ऑनलाइन) के रूप में चिकित्सा ज्योतिष के लिए भर्ती छात्रों की संख्या।

क्र.सं	**राज्य**	**छात्रों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	बिहार	12
3.	चंडीगढ़	6
4.	छतीसगढ़	11
5.	दिल्ली	8
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	56
8.	हरियाणा	18
9.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	जम्मू कश्मीर	4
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	138
13.	केरल	20
14.	मध्य प्रदेश	45
15.	महाराष्ट्र	152
16.	ओडिशा	13
17.	पुदुचेरी	2
18.	पंजाब	13
19.	राजस्थान	21
20.	तमिलनाडु	35
21.	तेलंगाना	1
22.	उतार प्रदेश	78
23.	उत्तराखंड	17
24.	पश्चिमी बंगाल	3
	कुल	**671**